



राष्ट्र के हित में शिक्षा

शिक्षा के हित में शिक्षक

शिक्षक के हित में समाज



अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

9वाँ अ.भा. अधिवेशन 5-7 अक्टूबर, 2025

प्रस्ताव - 1

राष्ट्रीय सुरक्षा सीमाओं से समाज तक

राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास अविभाज्य और परस्पर जुड़े हुए हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए प्रगति, समृद्धि और स्थिरता प्राप्त करने हेतु हर स्तर पर आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। सुरक्षा केवल सीमाओं पर बंदूक लेकर खड़े सैनिकों तक सीमित नहीं है। यह उतना ही आवश्यक है जितना कि समाज के भीतर समरसता बनाए रखना, हमारी अर्थव्यवस्था की रक्षा करना और सामाजिक एकता को बनाए रखना। इतिहास ने हमें यह सिखाया है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के बाद - कि कोई भी देश केवल बाहरी युद्धों से नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों से भी टूट सकता है। हमने इस सत्य को अपने ही समय में देखा है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह मान्यता है कि हाल ही में मणिपुर में हुआ संघर्ष शांति भंग करने वाला था, जिससे विकास में बाधा आयी और समाज में विभाजन पैदा हुआ। इसने हमें यह स्मरण कराया कि आंतरिक मतभेद, बाहरी आक्रमण की तुलना में राष्ट्र को अधिक शीघ्रता से कमजोर कर सकते हैं। दूसरी ओर, अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के बाद जम्मू-कश्मीर में हालात चाहे चुनौतीपूर्ण रहे हों, लेकिन निवेश, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में विकास हुआ है। शांति ने प्रगति के द्वार खोले हैं। इसी तरह, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो कभी उग्रवाद और अस्थिरता के लिए जाना जाता था, अब राष्ट्रीय महामार्ग, रेलवे और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से जुड़ रहा है। विकास शांति की सबसे मजबूत नींव बन गया है।

ये उदाहरण शैक्षिक महासंघ के इस विचार को प्रमाणित करते हैं कि विकसित भारत ही सुरक्षित भारत है, और सुरक्षित भारत ही विकसित भारत है। सुरक्षा और विकास एक-दूसरे के पूरक हैं - एक के बिना दूसरा अधूरा है।

ऋग्वेद में भी कहा गया है -

“संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।”

अर्थात् “एक साथ चलो, एक साथ बोलो, और तुम्हारे विचार एक हों।” (ऋग्वेद 10.191.2)

अतः राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा नहीं, अपितु राष्ट्र के भीतर सामूहिक और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता भी है।

चाणक्य ने कहा था:

“संपत्तेः कारणं राज्यं रक्षणं तस्य कारणम्।”

अर्थात् “राज्य में समृद्धि महत्वपूर्ण है, और उसकी रक्षा ही नींव है।”

इसलिए, समृद्धि को प्राप्त करने हेतु एक सुदृढ़ रक्षा प्रणाली आवश्यक है। भारत की ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति भी यही संकेत देती है हमारे दो पड़ोसी देश, पाकिस्तान और चीन, परमाणु शक्ति से सम्पन्न हैं और भारत से कई बार टकराव में आ चुके हैं। बावजूद इसके, भारत की मिसाइल और अंतरिक्ष क्षमताएँ जैसे अग्नि-V से लेकर चंद्रयान-3 तक एक मजबूत प्रतिरोध का संदेश देती हैं। हमारे मिसाइल प्रणाली की शक्ति केवल युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी शत्रु भारत की स्थिरता को चुनौती देने का साहस न कर सके।

हाल ही में भारत द्वारा आतंकवादी हमले के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर यह दर्शाता है कि भारत उन्नत तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित युद्ध उपकरणों का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम है। वहीं, विभिन्न देशों में संघर्ष के समय केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं, बल्कि अन्य देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित निकालने की इच्छाशक्ति व क्षमता भारत की “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना को दर्शाती है।

शैक्षिक महासंघ का मानना है कि आज के समय में आर्थिक सुरक्षा, सैन्य शक्ति जितनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समृद्धि की रक्षा करती है। कोई देश युद्ध जीत सकता है, पर यदि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, तो अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। भारत को यह सच्चाई तब समझ में आई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय उत्पादों पर शुल्क लगा दिया। इसीलिए आर्थिक वैविध्य और आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण अंग हैं। 'आत्मनिर्भर भारत', डिजिटल ढाँचे का विकास और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना ये सभी केवल आर्थिक रणनीतियाँ नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्य शर्तें हैं।

अर्थव्यवस्था समृद्धि की रक्षक है। सीमाएँ भूमि की रक्षा करती हैं, लेकिन संस्कृति किसी राष्ट्र की आत्मा की सुरक्षा करती है। भाषाओं, परंपराओं, कलाओं और मूल्यों को बचाना सांस्कृतिक सुरक्षा का हिस्सा है, जो विविधता में एकता को बनाए रखती है। आज के सोशल मीडिया के युग में, गलत सूचना विविधता को शस्त्र बनाकर समाज को हथियारों से भी तेज गति से तोड़ सकती है। हमारे त्योहार, साहित्य और सामुदायिक गतिविधियाँ केवल उत्सव नहीं हैं, बल्कि समाज को टूटने से बचाने वाले सुरक्षा उपाय हैं।

अथर्ववेद में कहा गया है –

“समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः”

अर्थात् – “तुम्हारे लक्ष्य समान हों, तुम्हारे हृदय एक हों।” (अथर्ववेद 3.30.5)

इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा में वह सांस्कृतिक सूत्र अवश्य शामिल होना चाहिए जो नागरिकों को जोड़े रखता है।

शैक्षिक महासंघ का यह भी मानना है कि भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष का सम्मान तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक भारतीय विचारों और सिद्धांतों की रक्षा समाज के बुद्धिजीवी नहीं करते। शैक्षिक महासंघ अपने आरंभ से ही यह प्रयास करता रहा है कि देश के शिक्षकों को एक मंच पर लाया जाए ताकि वे भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं को संजोएँ और पुष्पित करें। डिजिटल युग में, जहाँ युद्ध केवल युद्धभूमि पर नहीं, बल्कि डिमाग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लड़े जाते हैं, यह प्रयास और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रचार, साइबर हमले, फर्जी सूचनाएँ, झूठे नैरेटिव, उग्र सोच एवं जनसंख्या का असंतुलीकरण ये सब भी बंदूक और बम जितने ही खतरनाक हैं। इसलिए, गलत सूचना और विभाजनकारी विचारों से समाज की रक्षा के लिए बौद्धिक सुरक्षा जरूरी है। स्वदेशी ज्ञान प्रणाली को पुनर्जीवित करके शैक्षिक महासंघ अनुसंधान और शिक्षा को बेहतर बनाना चाहता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत तकनीकी रूप से केवल विदेशी संसाधनों पर निर्भर न रहे। यह रणनीति भारत की स्वदेशी वैक्सीन, सुपरकंप्यूटर और मिसाइल प्रणाली की उपलब्धियों से सिद्ध होती है।

अतः शैक्षिक महासंघ यह स्पष्ट करता है कि केवल सैनिक ही राष्ट्रीय सुरक्षा के जिम्मेदार नहीं हैं। यह हर नागरिक और हर वर्ग की जिम्मेदारी है। शिक्षक कक्षा की रक्षा करते हैं। किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, व्यापारी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हैं। जबकि सैनिक सीमाओं की रक्षा करते हैं। शैक्षिक महासंघ के अनुसार, सच्ची राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वस्पर्शी, मानवीय और सक्रिय होनी चाहिए।

इसी भावना से, शैक्षिक महासंघ का यह अधिवेशन सभी शिक्षकों, उद्यमियों, किसानों, मीडियाकर्मियों और सरकार से यह अपील करती है कि वे सुनिश्चित करें कि शैक्षणिक संस्थान किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रचार से मुक्त रहें। यह अत्यंत चिंताजनक है कि राष्ट्र-विरोधी तत्त्व “भारत को तोड़ने की विचारधारा को परिसरों में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।” इसे शैक्षिक महासंघ से जुड़े शिक्षकों के एकजुट प्रयासों से रोका जाना चाहिए।

जब शैक्षणिक स्थल भारतीय ज्ञान, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों से पोषित होंगे और बौद्धिक रूप से सुरक्षित होंगे, तब हमारी सीमाओं की सुरक्षा कई गुना सुदृढ़ हो जाएगी।



राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं भविष्य

सन् 1986 में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद लगभग 30 वर्षों के पश्चात् 2016 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 से पूरे देश भर में भारत सरकार द्वारा लागू की गई। 20 जुलाई 2025 को इस नीति के क्रियान्वयन के 5 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने संपूर्ण देश में सभी विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थानों में संगोष्ठियाँ, चर्चा सत्र, व्याख्यान आदि कार्यक्रम आयोजित किए। देश भर के कई हजार शिक्षकों, अधिकारियों, प्राध्यापकों एवं छात्रों से इस क्रियान्वयन से संबंधित एक व्यापक सर्वे किया गया। सर्वे उपरांत संगठन के द्वारा इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। उक्त विश्लेषण से बहुत सारी जानकारीयों हमारे सम्मुख उपस्थित हुई हैं। इसमें अनेकों लक्ष्य की प्राप्ति हुई है और देश में यह शिक्षा नीति सफलतापूर्वक अपनी यात्रा आगे ले जा रही है। एक व्यापक सर्वे के पश्चात् अपने संगठन ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पर अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन की ओर से हम शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रस्ताव आपके सम्मुख विचारार्थ रख रहे हैं -

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने तय किया है कि स्कूली शिक्षा में बाल वाटिका सहित 5+3+3+4 की संरचना अभी कुछ स्थानों पर एवं आंशिक लागू हुई है। इसका सम्पूर्ण प्रभाव तभी देखने को मिलेगा जब इसे समग्रता से लागू किया जाये। इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए सम्बद्ध मंत्रालय के अधिकारियों से समग्र वार्ता की जाएगी। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को मातृभाषा / स्थानीय भाषा में देने का प्रयास किया जाये एवं त्रि-सूत्री भाषा फार्मूला पूरी तरह से लागू किया जाये। कक्षा आठ तक अंग्रेजी को केवल एक भाषा के तौर पर पढ़ाया जाये। उच्च माध्यमिक स्तर से ही छात्रों की अभिरुचि के हिसाब से एक या दो कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था अवश्य की जाये। रटने के बजाय, रचनात्मक शक्ति विकसित करने, कौशल विकास पर आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 की जो परिकल्पना है वह बहुत ही सार्थक एवं परिपूर्ण है। इस परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए कुछ आधारभूत संरचनाओं का ढाँचा खड़ा करना पड़ेगा। इस सन्दर्भ में भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का मानना है कि व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् सम्पूर्ण तैयारी और दस्तावेजों के साथ सम्बंधित मंत्रालय में वार्ता करनी है। उच्च शिक्षा में विभिन्न संकायों की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम में भारतीयता के मूल्य के अलावा सम्बद्ध क्षेत्रों में अद्यतन विकसित तकनीक एवं विचारों का संतुलित समावेश करना चाहिए। मानविकी, भाषा एवं साहित्य के शिक्षण एवं मूल्याङ्कन को वस्तुनिष्ठ न बनाकर विस्तृत, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक बनाने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं शोध को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यक्रमों के अल्पीकरण की दिशा में भी सोचना चाहिए।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का यह अधिवेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अब तक की उपलब्धियों को प्रचारित एवं प्रसारित करने, लागू करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने, तत्सम्बन्धी मांग पत्र बनाने, उन्हें सरकार तक प्रेषित करने तथा भविष्य में उन्हें और अधिक सुगम बनाकर लागू करने का संकल्प करता है। 2030 तक अपने विद्यालयों में जो 100 प्रतिशत (माध्यमिक में) तथा 50 प्रतिशत (उच्च शिक्षा में) समग्र नामांकन अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, प्रवेश आदि प्रक्रिया को सरलतम बनाने पर विशेष जोर देगा।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का यह मानना है कि आज के समय में शिक्षण, एकांगी कौशल न रहकर अपितु आधुनिक शिक्षण माध्यमों के वजह से तकनीक आधारित एवं बहुआयामी हो गया है। इस हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण की बहुतायात में आवश्यकता है। संगठन समग्र योजना बना कर एक समग्र भारतीय शिक्षा आयोग के गठन की ओर तेजी से बढ़ने का संकल्प लेता है। यह आयोग संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर शिक्षक चयन की एक बेहद जिम्मेदार प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। एक गलत और अपूर्ण शिक्षक का चयन तीन से चार पीढ़ियों को नष्ट कर देता है। उच्च शिक्षा में सभी शिक्षण संस्थानों के पुनर्गठन का जो त्रि-स्तरीय संरचना की परिकल्पना थी, उसपर अभी उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है। इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। पुरानी संस्थाओं के पुनरुद्धार हेतु एक कार्पस फण्ड के निर्माण के लिए योजना लानी चाहिए। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रशासनिक अथवा शिक्षक सरोकारों से सम्बद्ध कार्य निष्पादन के लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण एवं उसका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा।

शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं का तत्काल समाधान आवश्यक

सरकार की उपेक्षा और अनिर्णय के कारण शिक्षा और शिक्षकों से जुड़ी अनेक समस्याएँ लंबे समय से लंबित हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह साधारण सभा केंद्र एवं राज्य सरकारों से माँग करती है कि संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए निम्न समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए—

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पाँच वर्ष पूरे होने पर उसके क्रियान्वयन, जमीनी स्थिति और सामने आई बाधाओं का व्यापक आकलन देशभर में किया जाए।
2. शिक्षा क्षेत्र के सभी स्तरों पर शिक्षकों तथा अन्य रिक्त पदों पर स्थायी और नियमित नियुक्ति सुनिश्चित की जाए और तदर्थ व्यवस्था (Adhocism) को समाप्त किया जाए।
3. सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को पूरे देश में समान रूप से लागू की जाएँ और उनमें विद्यमान विसंगतियाँ दूर की जाएँ।
4. यूजीसी का मसौदा विनियम 2025 महासंघ द्वारा यूजीसी को प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुसार संशोधित किया जाए अथवा वापस लिया जाए।
5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर लाखों शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। महासंघ 2010 से पूर्व नियुक्त विद्यालय शिक्षकों की सेवा एवं पदोन्नति की सुरक्षा हेतु तत्काल समाधान की पुरजोर माँग करता है।
6. 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पुरानी पेंशन योजना सभी शिक्षकों के लिए पुनः लागू की जाए।
7. सभी स्तरों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु पूरे देश में समान रूप से 65 वर्ष की जाए।
8. सभी स्तरों पर शिक्षकों के लिए व्यवस्थित और नियमित प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
9. उच्च शिक्षा के शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना (CAS) का लाभ समयबद्ध रूप से दिया जाए।
10. सेवारत शिक्षकों को पीएच.डी. कोर्सवर्क से छूट प्रदान की जाए अथवा इसके लिए सवैतनिक अवकाश/ ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
11. अनुदानित शैक्षणिक संस्थानों में वेतन भुगतान हेतु कोषागार प्रणाली लागू की जाए।
12. विद्यालय और उच्च शिक्षा के शिक्षकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए।
13. यूजीसी विनियम 2018 पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाए और उसमें विद्यमान विसंगतियाँ दूर करने हेतु गठित विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
14. पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और अन्य समकक्ष सेवाओं की सेवा शर्तें शिक्षकों के समान सुनिश्चित की जाएँ।
15. शिक्षकों से केवल शैक्षणिक कार्य कराया जाए। उन्हें मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme) के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन से मुक्त रखा जाए।
16. केंद्र सरकार अपने बजट का 10 प्रतिशत तथा राज्य सरकारें अपने बजट का 30 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करें, ताकि पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हो सकें और पुस्तकें, भवन, खेल मैदान जैसी आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित की जा सकें।
17. शिक्षा की स्वायत्तता बहाल की जाए। शिक्षा संबंधी सभी निर्णयों में शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और राजनीतिक व प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद किया जाए।
18. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) को व्यावहारिक एवं यथार्थपरक बनाया जाए और इसके पालन हेतु आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।
19. शिक्षा के व्यावसायीकरण और निजीकरण पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए।
20. कॉलेज प्राचार्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक सीमित न रहकर उनकी सेवानिवृत्ति तक बढ़ाया जाए।
21. सभी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक-छात्र अनुपात सुनिश्चित किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा हेतु कम से कम एक शिक्षक और उच्चतर विद्यालयों में प्रत्येक विषय हेतु एक शिक्षक नियुक्त हो। उच्च शिक्षा में यूजीसी एवं एनईपी द्वारा निर्धारित शिक्षक-छात्र अनुपात लागू किया जाए।
22. स्ववित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्ति, न्यूनतम वेतन और सेवा शर्तों के नियमन हेतु प्रभावी व्यवस्था की जाए, ताकि वहाँ कार्यरत शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।